न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 85/2016

अपीलांट–
श्रीमती मूमल देवी पत्नी पुरखाराम
जाति जाट निवासी मगने की
ढाणी–कुड़ला, तहसील व जिला
बाड़मेर हाल ईश्वरपूरा (कापराउ)
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर
2. दुर्गाराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी मगने की ढाणी–कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश मगने की ढाणी–कुड़ला के नामान्तरकरण सं. 60 स्वीकृति दिनांक 01.02.2016 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री रूपसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15.02.2021

1. अपीलांट की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा मगने की ढाणी–कुड़ला के नामान्तरकरण सं. 60 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2016 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा मगने की ढाणी–कुड़ला के खसरा नम्बर 481, 532 रकबा क्रमशः 110–04, 69–10 बीघा भूमि दुर्गा पुत्र चौखा कौम जाट साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार दुर्गा द्वारा उक्त भूमि में से 45–00 बीघा भूमि जरिये पंजिबद्ध बेचान पत्र दिनांक 09.09.2008 को अपीलांट मूमल देवी के पक्ष हस्तान्तरित किये जाने पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 60 दायर कर सरपंच, ग्राम पंचायत कुड़ला के समक्ष

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत किया जिसे पंचायत की आम बैठक दिनांक 20.10.2008 में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय प्रकरण सं. 02/2019 निर्णय दिनांक 20.03.2009 एवं प्रकरण सं. 75/2009 निर्णय दिनांक 12.12.2015 एवं प्रकरण सं. 212/2008 निर्णय दिनांक 24.06.2015 की पालना में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 01.02.2016 को निरस्त कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण्ण निरस्ती आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2016 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरणकरण सं. 60 को खारिज करने में कानूनी व वाक्याती भूल की गई है। मौजा मगने की ढाणी के खसरा नं. 481 व 532 रेस्पोडेंट सं. 02 की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी जिसमें से क्रमशः 25 एवं 20 बीघा का बेचान दिनांक 09.09.2008 को अपीलांट के पक्ष में किया जाकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण सं. 60 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का नाम इन्द्राज किया गया। अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज हो जाने के पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 212/2008 में दावा सं. 206/2008 के अन्तिम निर्णय तक रेकर्ड की यथास्थिति का एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात् प्रकरण सं. 02/2009 में निर्णय दिनांक 20.03.2009 व प्रकरण सं. 212/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 की पालना में नामान्तरकरण सं. 60 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा इन तथ्यों की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को करा दी गई थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की अवमानना की ओर गौर नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से प्रथम अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर के यहॉ प्रस्तुत करने हेतु तैयार की जाकर जुनियर अधिवक्ता को दी गई थी जो भूलवश उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 08.02.2016 को पेश कर दी। जहॉ अपील दर्ज होकर राजस्व लोक अदालत शिविर कुड़ला में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर दिनांक 21.06.2016 खारिज कर दी गई। इस पर दिनांक 25.07.2016 को नकल आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.09.2016 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील अंदर मयाद पेश है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने जवाब में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश सक्षम न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पारित किया गया है। जब तक उक्त न्यायालय का मूल आदेश चेलेंज नहीं किया जाता है, उसकी अनुपालना कार्यवाही को अपील के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के प्रकरण सं. 02/2009 निर्णय दिनांक 20.03.2009 प्रकरण सं. 75/2009 निर्णय दिनांक 12.12.2015 एवं प्रकरण सं. 212/2008 निर्णय दिनांक 24.06.2015 की पालना में पारित कर नामान्तरकरण सं. 60 निरस्त किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय एकपक्षीय पारित होने पर तथ्य प्रकट किया गया था किन्तु इसे नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा इस अपील के संलग्न अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित समस्त आदेशों की प्रतियॉ प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि अपीलाधीन आदेश किन परिस्थतियों में एवं तथ्यों के मद्देनजर पारित किये गए है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला न्यायालय आदेश की अनुपालना से सम्बन्धित होना प्रतीत होता है तथा पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है। अपील अन्तर्गत नामान्तरणकरण उक्त वाद में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते हुए पारित किया गया है, जिसे न्यायालय आदेश के अनुक्रम में अपीलाधीन आदेश के द्वारा निरस्त किया गया है। साथ ही यह भी अभिलेख

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के तौर पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अन्तिम निश्चय किया जा सकेगा। यह अपीलाधीन आदेश न्यायालय आदेशों की अनुपालना में पारित किया गया होने से यह अपील कतई मेंटेनेबल नहीं होती है बल्कि अपीलांट को उक्त न्यायालय आदेशों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/रिविजन द्वारा चाराजोही करनी चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर